



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012026-269349
CG-DL-E-15012026-269349

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947

No.166]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2026

का.आ. 176(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1035(अ), दिनांक 07 मई 2010 द्वारा, केन्द्र सरकार ने राजस्थान राज्य में के जयपुर-टोंक-देवली-कोटा खंड के किलोमीटर 18.700 से किलोमीटर 165.000 तक एनएच-76 पर कोटा बाईपास के जंक्शन तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा जाएगा) को सौंपा है;

अब यतः, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और का.आ. 365(अ), दिनांक 14.02.2013 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 (नया रा.रा. 52) के कोटा बाईपास जंक्शन पर देवली में डिजाइन किलोमीटर 0.000 किलोमीटर (मौजूदा किलोमीटर 167.624) से डिजाइन किलोमीटर 82.810 (मौजूदा किलोमीटर 250.434) तक के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए 57.625 किलोमीटर लंबाई वाली निवल सड़क खंड [सारणी-2] और 21.36 किलोमीटर (2.136 किलोमीटर की लंबाई वाली) [सारणी-4] की समतुल्य संरचना (लंबाई 60 मीटर से अधिक) लंबाई के लिए नीचे दिये गये सारणी-1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर से और दस करोड़ या उससे अधिक

की लागत वाले 23.049 किलोमीटर लंबाई सारणी-3 के बाईपास के लिए डेढ़ गुना आधार दर पर के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहन के प्रकार के लिए आधार दर पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क उदग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदग्रहीत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारणी-2		
टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
राजस्थान के बूंदी जिले में किशोरपुरा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 (नया राजमार्ग संख्या- 52) के कि.मी. 14.900 (डिज़ाइन चैनेज) पर	57.625 [बाईपास (लागत ≥ 10 करोड़ रुपए) और संरचनाओं की लंबाई (> 60 मीटर) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% पर

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा/प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा: -

सारणी-3						
टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ में)	
राजस्थान के बूंदी जिले में किशोरपुरा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52) के कि.मी. 14.900 (डिज़ाइन चैनेज) पर	हिंडोली	20.300	23.267	2.967	10.30	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150% पर
	बूंदी	40.315	46.300	4.718	55.90	
	कोटा	67.570	83.042	15.364	55.87	
कुल				23.049		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा/प्लाजाओं पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग हेतु ऐसी संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

सारणी-4			
टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	वह दर जिस पर शुल्क संदेय है
राजस्थान के बूंदी जिले में किशोरपुरा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52) के कि.मी. 14.900 (डिज़ाइन चैनेज) पर	2.136 [^]	21.36	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% पर

[^]व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	करार के अनुसार डिज़ाइन चैनेज			संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	संरचना का केंद्र	प्रांभिक चैनेज	आखिरी चैनेज		
1	25.430	25.399	25.460	आधा फ्लाईओवर	0.0301**
2	28.341	28.283	28.399	बड़ा पुल	0.116
3	36.132	36.102	36.162	फ्लाईओवर	0.0602*
4	40.536	40.5	40.572	आधा फ्लाईओवर	0.036**
5	41.180	41.142	41.719	सुरंग (टिवन ट्यूब)	1.077
6	43.680	43.644	43.716	फ्लाईओवर	0.072
7	46.180	46.139	46.221	फ्लाईओवर	0.082
8	48.622	48.527	48.717	आरओबी	0.190
9	53.825	53.777	53.873	बड़ा पुल	0.096
10	57.833	57.785	57.881	बड़ा पुल	0.096
11	62.233	62.177	62.289	बड़ा पुल	0.113
12	62.267	62.237	62.297	फ्लाईओवर	0.0602*
13	68.650	68.614	68.686	आधा फ्लाईओवर	0.036**
14	82.310	82.239	82.382	आधा फ्लाईओवर	0.0715**
कुल					2.136

** किलोमीटर 25.430, 40.536, 68.650 और 82.310 पर स्थित ऊपरी पुल एकतरफा हैं, अतः इनकी औसत लंबाई अर्थात्, समतुल्य 4 लेन संरचना के लिए आधी लंबाई मानी जाएगी।

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00 रुपए (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

सारणी-5		
देय धनराशि	अधिकतम संख्या एक अनुमत यात्रा मार्ग	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. जिस ज़िले में शुल्क प्लाज़ा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1क के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1052.16 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. 22023/1/मसौदा शुल्क अधिसूचना प्रकाशन/ई-258892]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2026

S.O. 176(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1035(E) dated 7th May 2010 issued under Section 11 of the National Highway Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 18.700 to Km 165.000 to Junction of Kota Bypass on NH-76 of Jaipur - Tonk - Deoli - Kota Section of National Highway No. 12 (New NH-52) in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”) and in supersession to the notifications published vide 365 (E) dated 14.02.2013, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net

road section length of 57.625 km [Table - 2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 21.36 km (having length of 2.136 km) [Table -4] and at one and half times the base rate for bypasses having length of 23.049 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the [Table 3] below of for use of four or more lane Deoli at Design Km. 0.000 (existing Km. 167.624) to Kota Bypass Junction of National Highway Number-52 at Design Km. 82.810 (Existing Km. 250.434) and in the State of Rajasthan and Authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km. 14.900 (Design Chainage) of NH- 12 (New NH-52) near Kishorepura Village, Bundi district of Rajasthan.	57.625 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) : -

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable (Excluding length of structures (>60m))		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km. 14.900 (Design Chainage) of NH-12 (New NH-52) near Kishorepura Village, Bundi district of Rajasthan.	Hindoli	20.300	23.267	2.967	10.30	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Bundi	40.315	46.300	4.718	55.90	
	Kota	67.570	83.042	15.364	55.87	
			Total	23.049		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km. 14.900 (Design Chainage) of No.12 (New NH-52) near Kishorepura Village, Bundi district of Rajasthan	2.136	21.36	100% for four or more lanes, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under: -

S. No.	Design Chainage as per Agreement			Type of structure	Length (Km)
	Centre of structure	Starting Chainage	End Chainage		
1.	25.430	25.399	25.460	Half Flyover	0.0301**
2.	28.341	28.283	28.399	Major Bridge	0.116
3.	36.132	36.102	36.162	Flyover	0.0602*
4.	40.536	40.5	40.572	Half Flyover	0.036**
5.	41.180	41.142	41.719	Tunnel (Twin Tube)	1.077
6.	43.680	43.644	43.716	Flyover	0.072
7.	46.180	46.139	46.221	Flyover	0.082
8.	48.622	48.527	48.717	ROB	0.190
9.	53.825	53.777	53.873	Major Bridge	0.096
10.	57.833	57.785	57.881	Major Bridge	0.096
11.	62.233	62.177	62.289	Major Bridge	0.113
12.	62.267	62.237	62.297	Flyover	0.0602*
13.	68.650	68.614	68.686	Half Flyover	0.036**
14.	82.310	82.239	82.382	Half Flyover	0.0715**
Total					2.136

** At Km. 25.430, 40.536, 68.650 and 82.310, these are unidirectional flyover and Hence average length i.e half is considered as an equivalent 4-lane structure.

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs.340.00 (Rupees Three Hundred and Forty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1052.16 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. 22023/1/Publication of Draft Fee Notification/E-258892]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.